



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 357 राँची, मंगलवार,

15 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

3 जुलाई, 2025

संख्या-3/आरोप-11-43/2024 का.-31698 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सतीश चन्द्रा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-802A/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापन के दौरान वर्ष 2016-17 में NH-33 के अधिग्रहित जमीन, खाता संख्या- 749, प्लॉट संख्या- 7209, रकबा- 0.20 एकड़ के मुआवजा भुगतान हेतु अंचल अधिकारी, बरही से प्राप्त प्रतिवेदन की पुनः समीक्षा एवं विवेचना नहीं करने के कारण सरकारी भूमि का गलत पंचाट का सृजन होने, उक्त पंचाट के आलोक में गलत पंचाटी को राशि का भुगतान किये जाने से सरकार को मो० 75,82,789/- रू०(पचहत्तर लाख बेरासी हजार सात सौ नवासी रू०) राजस्व की क्षति से संबंधित वित्तीय अनियमितता होने इत्यादि से संबंधित आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त पत्रांक-2817, दिनांक- 29.08.2024 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक- 583/स्था०, दिनांक- 17.05.2023 के द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. श्री सतीश चन्द्रा के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. अतः श्री सतीश चन्द्रा, झांप्र०से० के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री चन्द्रा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री चन्द्रा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री चन्द्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री सतीश चन्द्रा, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक-802A/03), एवं श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SATISH CHANDRA BHR/BAS/3668	श्री सतीश चन्द्रा, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-802A/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
